


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 24(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 में,-

(क) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

“6” अपीलें फाइल करने का स्थान.- अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उभ्रूत हुआ है, के पास अपील साधारण फाइल की जाएगी।”;

(ख) नियम 7 में, उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1)” रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ अधिकरण के रजिस्ट्रार के पक्ष में और उस बैंक की मुख्य शाखा, जहां उक्त अधिकरण की पीठ अवस्थित है, में संदेय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर क्रास किए गए मांग देय ड्राफ्ट के रूप में प्रेषित दो हजार रुपये की फीस के साथ संलग्न होगी।”।

(फा.सं. एस-35012/3/2015 एसएस-II)

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड(i) में तारीख 2 जून, 1957 को सा.का.नि. 268 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ.498 दिनांक 7 फरवरी, 2000 द्वारा अंतिम संशोधित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016.

G.S.R 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1997, namely :-

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1997,-
 - (a) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :-

“6. Place of filing appeals.— The appeal shall ordinarily be filed by the appellant with the Registrar of the Tribunal within whose jurisdiction the cause of action has arisen.”;
 - (b) in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Every appeal filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of two thousand rupees to be remitted in the form of crossed demand draft on a nationalised bank in favour of the Registrar of the Tribunal and payable at the main branch of that Bank at the station where the seat of the said Tribunal is situated.”.

[F.No.S-35012/3/2015-SS.II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 2nd June, 1997 vide number G.S.R. 268 and were subsequently amended vide number S.O. 498, dated the 7th February, 2000.